न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 98/2025 अपील (GCMS 2025/98)
पंजीयन दिनांक- 16/05/2025
निर्णय दिनांक- 01/12/2025

1. नगर परिषद, सलूम्बर जरिये आयुक्त, नगर परिषद, सलूम्बर, जिला सलुम्बर।

-अपीलांट

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता मोतीराम ब्राह्मण, निवासी वीरवाकलां, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
2. श्री लीलाराम पिता मोतीराम ब्राह्मण, निवासी वीरवाकलां, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर।
3. श्री प्रदीप कुमार पिता स्व. श्री महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
4. श्री दैवेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
5. प्रतीभा कुमारी पुत्री स्व. श्री महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
6. श्रीमती पद्मावती पत्नि स्व. श्री महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
7. श्री देवीलाल पिता गुलाब सुथार, निवासी बडगांव, तहसील सराडा, जिला सलूम्बर।
8. **स्व. श्री कन्हैयालाल पिता भैरूलाल दर्जी मृतक के बजायः-**

1. श्रीमती मोहन बाई पत्नि स्व. श्री कन्हैयालाल दर्जी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
2. श्री रघुनाथ पिता स्व. श्री कन्हैयालाल दर्जी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
9. श्री लुकमान हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

10. श्री युसुफ हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
11. श्री अब्बास हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
12. **स्व. श्री सैफुद्दीन पिता अब्दुल हुसैन बोहरा मृकत के बजायः-**

1. श्री ताहेर अली पिता स्व. सैफुद्दीन बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

13. श्री मोहनलाल पिता रूपलाल दर्जी, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
14. श्री तस्दुक हुसैन पिता फिदा हुसैन निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
15. श्री यावर हुसैन पिता फखरूद्दीन बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
16. श्री मोहम्मद हुसैन पिता कुरबान अली बोहरा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
17. **स्व. श्री प्रभुलाल पिता कुरीलाल भदादा मृतक के बजायः-**

1. श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री प्रभुलाल भदादा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

18. **स्व. श्रीमती जतन देवी पत्नि स्व. प्रभुलाल भदादा मृतक के बजायः-**

1. श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री प्रभुलाल भदादा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

19. श्री शंकरलाल पिता कुरीलाल भदादा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
20. श्री रमेशचन्द्र पिता गिरधारीलाल भदादा, निवासी सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
22. श्री प्रदीप कुमार पिता चंदलाल भदादा, निवासी माहेश्वरियों का मोहल्ला, माहेश्वरी नोहरी के पास, सलूम्बर, जिला सलूम्बर।
23. श्री प्रफुल कुमार पिता चंदलाल भदादा, निवासी 2-के-64, गायत्री गनर, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 5, उदयपुर।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1.	श्री महेन्द्र मेनारिया	- अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री सम्पतलाल बोहरा	- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 21
4.	श्री मनीष खण्डेलवाल	- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 22 से 23

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर के
प्ररकण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 13.01.2025

निर्णय

दिनांक 01/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर के प्रकरण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 13.01.2025 के विरूद्ध दिनांक 08.05.2025 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सलूम्बर, तहसील व जिला सलूम्बर तत्कालीन जिला उदयपुर के साबिक खसरा संख्या 1206, 1211, 1216, 1270, 1279, 1283, 1342, 1348/1 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी संख्या 1557 से 1562, 1620/1559, 1872 कुल किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर स्थित होकर इसमें से हाल आराजी संख्या 1557 से 1562 कुल किता 6 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि को आबादी में रूपांतरण कराया, इस 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 व अन्य खातेदारों के द्वारा बिलानाम आबादी दर्ज कराई गई एवं राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से बिलानाम दर्ज होने का कथन किया गया। सेटलमेंट पश्चात् जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 के अनुसार संपूर्ण जिले में राजकीय बिलानाम सिवायचक से उक्त वर्णित भूमि व अन्य भूमियों को नगरपालिका, सलूम्बर को आबादी विस्तारण हेतु हस्तांतरण करने के आदेश दिये तत्पश्चात् भूमि नगरपालिका, सलूम्बर के नाम अर्थात अपीलांट के नाम दर्ज हो गयी। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 13.01.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.01.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा सलूम्बर, पटवार हल्का, सलूम्बर के प्रार्थीगण के साबिक आराजी नम्बर से बने हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में आबादी नगरपालिका, सलूम्बर के खाते दर्ज अंकित है उक्त भूमि नगरपालिका, सलूम्बर हाल नगरपरिषद, सलूम्बर के खाते से कम कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थीगण के नाम बिलानाम आबादी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 21 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 22 व 23 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष खण्डेलवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि आबादी दर्ज होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही था। रेस्पोडेंट

संख्या 1 से 20 स्वयं द्वारा अन्य 20 व्यक्तियों के साथ भूमि खरीदकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने संबंधित अभिकथन किये गये, परंतु अन्य 20 खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रश्नगत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करवाई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल के आदेश का अवलोकन किये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत भूमि पर जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश वर्ष 2004 से अपीलांट उक्त भूमि पर खातेदार काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रही है। अपीलांट नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि हेतु लगान का 40 गुणा सन् 2004 से लगातार जमा काराया जाता रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2025 को निरस्त करवाया जाकर प्रश्नगत भूमि अपीलांट के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 ने अपनी बहस में बताया कि अपील में वर्णित भूमि दिनांक 23.11.1982 को गंगापुर वासी से जरिये विक्रय पत्र के खरीदी, जिसे बाद नामांतरकरण संख्या 517 हमारे नाम पर दर्ज किया गया, तत्पश्चात् कृषि भूमि में से 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि संपरिवर्तन के बाद नामंतरकरण संख्या 621 से आबादी दर्ज हो गयी। आबादी होने के पश्चात् दौराने सेटलमेंट आबादी शब्द हटकर बिलानाम हो गया, जिसके उपरांत जिला कलक्टर के आदेश से भूमि नगरपालिका, सलुम्बर को हस्तांतरित करने से वर्णित भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज होने हो गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 की भूमि आबादी होने के पश्चात् दौराने सेटलमेंट आबादी शब्द हटकर बिलानाम हो जाने के कारण सेटलमेंट विभाग से हुई गलती को दुरस्त करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार एवं दस्तावेजी

साक्ष्य के आधार पर उचित एवं नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RBJ 2022 Page 389, RBJ 2024 Page 749, RRT 2009 Page 954, RRT 2013 (1) Page 391, RRT 2015 (1) Page 451 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 21 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा दिनांक 13.01.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 22 से 23 द्वारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील न्यायहित हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सलूम्बर, तहसील व जिला सलूम्बर तत्कालीन जिला उदयपुर के साबिक खसरा संख्या 1206, 1211, 1216, 1270, 1279, 1283,

1342, 1348/1 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी संख्या 1557 से 1562, 1620/1559, 1872 कुल किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर स्थित होकर इसमें से हाल आराजी संख्या 1557 से 1562 कुल किता 6 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि को आबादी में रूपांतरण कराया, इस 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 व अन्य खातेदारों के द्वारा बिलानाम आबादी दर्ज कराई गई एवं राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से बिलानाम दर्ज होने का कथन किया गया। सेटलमेंट पश्चात् जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 के अनुसार संपूर्ण जिले में राजकीय बिलानाम सिवायचक से उक्त वर्णित भूमि व अन्य भूमियों को नगरपालिका, सलूम्बर को आबादी विस्तारण हेतु हस्तांतरण करने के आदेश दिये तत्पश्चात् भूमि नगरपालिका, सलूम्बर के नाम अर्थात अपीलांट के नाम दर्ज हो गयी। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 13.01.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर द्वारा तहसीलदार, सलूम्बर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, सलूम्बर द्वारा दिनांक 10.12.2024 से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वाद में वर्णित आराजी नम्बर 157, 1558, 1559, 1560, 1561, 5162 वर्तमान में नगरपालिका, सलूम्बर के खाते में दर्ज है व उक्त आराजी की किस्म आबादी दर्ज है। वाद में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 1206, 1211, 1216, 1268, 1670, 1279, 1283, 1342, 1348/1 कुल रकबा 10 बीघा

18 बिस्वा किस्म मगरी राजस्व ग्राम सलूम्बर की जामबंदी संवत् 2039-2042 के खाता संख्या 172-48 पर वादीगण व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थी। संवत् 2039-42 में दिनांक 09.05.1985 को नामांतरकरण संख्या 621 द्वारा कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन होने से उक्त आराजीयात के कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा 7 बिस्वा आबादी बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादीगण द्वारा अपने वाद में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में आराजी नम्बर 1557 से 1562, 1572, 1620, 1559 कुल किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि उनके पुराने साबिक खसरा नम्बर 1206 से संबंधित है, किन्तु राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादीगण के पुराने आराजी नम्बर 1206 व अन्य निम्न हाल आराजीयात बने है:- साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.07 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1558 रकबा 0.22 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1559 रकबा 0.05 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1205 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.03 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1561 रकबा 0.05 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1562 रकबा 0.04 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 हाल आराजी नम्बर 1620/1559 रकबा 1.02 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 1206 मी. हाल आराजी नम्बर 1572 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाद में वर्णित आराजीयात उक्तानुसार खाते में दर्ज थे, किन्तु हाल आराजी नम्बर 1560 रकबा 0.03 हैक्टेयर साबिक आराजी 1205 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बना है, जो वादीगण के खाते में दर्ज नहीं था। सेटलमेंट के दौरान हाल आराजी नम्बर 1557, 1558, 1559, 1561, 1562 कुल किता 5 रकबा 0.43 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज हुई जिसकी किस्म मगरी दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 273 दिनांक 22.06.2025 द्वारा नगरपालिका को आबादी विस्तार हेतु हस्तांतरित

किये गये। पूर्व में इसी प्रकरण में तैयार की गई कमिश्नरी रिपोर्ट दिनंक 11.04.2016 अनुसार आराजी नम्बर 1557, 1558, 1562 राजमार्ग सलुम्बर-बांसवाडा के मध्य बिन्दु से 50 फिट की दुरी पर फर्दन-फर्दन जगह पर बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। वादीगण द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया, जो मौके अनुसार जाहीर आया है। आराजी नम्बर 159, 1560, 1561 राजमार्ग से सटी होकर 50 फिट के बाद आती है, वर्तमान में भी यही स्थिति कायम है व प्रार्थी काबिज है। इस प्रकार तहसीलदार, सलूम्बर की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्णित बिलानाम आबादी के बजाय मगरी दर्ज होकर अशुद्धि होना प्रमाणित है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

"136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा **राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है।** पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर

द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जांच की कार्यवाही की गई। प्रकरण में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा जांच के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर के द्वारा प्रकरण में दुरूस्ती का आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्वि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में बिलानाम से बिलानाम आबदी दर्ज कराने की शुद्वि हेतु दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2025

को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर, जिला सलूम्बर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर